

भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग
कार्यालय उपमण्डलीय अभियन्ता
सिन्ध बेतवा उपमण्डल, झाँसी

पत्रांक: 5 / 16 / 2018 / सि० वे० / 61-64

दिनांक: 19.01.2019

मूल्य कथन आमन्त्रण सूचना

सिन्ध बेतवा उपमण्डल, झाँसी के अधीनस्थ पुराने एवं नये स्थलों सेवदा, गरौली, पचावली, बासौदा, राजघाट, नोटघाट, चांदपुर (डबरा) मसूदपुर, सर्वा, गाता, मेंहदाघाट, बागचीनी, उन्नाव बालाजी, लहचूराघाट, संजयनगर, बिजौरौनी एवं बरोद (कुल 17 स्थलों) पर डिस्पले बोर्डों की आपूर्ति हेतु मूल्य- कथन आमन्त्रित किये जाते हैं। ये मूल्य कथन अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 25.01.2019 के 12.00 बजे तक पहुँच जाने चाहिए एवं मूल्य कथन दिनांक 25.01.2019 को 13.00 बजे खोली जायेगी।

क स०	आपूर्ति का विवरण	मात्रा	GST %	दर	रकम
1	मृदा में खुदाई कार्य	1.377 घनमीटर			
2	सीमेंट कंक्रीट कार्य (1:4:8)	1.377 घनमीटर			
3	इस्पात कार्य (रेगिल साइज 40x40x5mm. स्कू एवं बेल्लिंग फिटिंग कार्य सहित)	373.66 किग्रा०			
4	इस्पात चादर (2 mm. मोटी बेल्लिंग फिटिंग कार्य सहित)	213.52 किग्रा०			
5	पेन्टिंग कार्य प्राइमरी कोट, द्वितीय कोट एवं डिस्पले बोर्डों की दोनों तरफ लिखाई	17 नग			

नियम व शर्तें:

- सामान कार्यादेश होने के 15 दिन के अन्दर सप्लाई करना होगा।
- मूल्य कथन दी गई दरें सभी तरह के कर सहित होनी चाहिए।
- दरें में किसी भी कटिंग/ओवर राइटिंग को उचित रूप में सत्यापित/ प्रमाणित किया जाना चाहिए।
- मूल्य कथन मुहरबन्द लिफाफे में होनी चाहिए तथा मूल्य कथन का पत्रांक तथा खुलने की तारीख स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
- आपूर्ति के उचित परीक्षण के उपरान्त ही भुगतान PSMS द्वारा आपूर्तिकर्ता के बैंक खाते में किया जाएगा।
- यदि किसी अपिहार्य कारण से मूल्य कथन नियत तिथि पर नहीं खोला जाता है तो यह मूल्य कथन बिना कोई अग्रिम सूचना दिये अगले कार्य दिवस को खोले जायेंगे।
- अधोहस्ताक्षरकर्ता के बिना कोई कारण बताये किसी भी अथवा सभी मूल्य-कथन स्वीकृति अथवा अस्वीकृति करने का अधिकार है।


19/01/19

उपमण्डलीय अभियन्ता
सिन्ध बेतवा उपमण्डल, झाँसी

प्रति:

- अधिशाली अभियन्ता, निचली यमुना मण्डल, आगरा।
- लेखा शाखा, निचली यमुना मण्डल, आगरा।
- नोटिस बोर्ड।
- अवर अभियन्ता (मु०) नियम आगरा को CWC Portal पर प्रकाशन करने हेतु।


22/01/19


24/1/19